

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 1981/फाल्गुन 20, 1902
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 1981/PHALGUNA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1981

सा. का. नि. 176(अ).—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी
निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 284(अ), तारीख 1 जून, 1980 को अधिकांश

करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. एस. चावला ।

सदस्य

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. एस. चड्ढा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रंगनाथन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।

इस सलाहकार बोर्ड का कार्यालय इस अधिमूचना की तारीख से 10 मार्च, 1982 तक होगा ।

[फा. सं. 674/1/81-सीमाशुल्क 8]

एन. आई. रामनाथन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 1981

G.S.R. 176(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. G.S.R. 284(E), that the 1st June, 1980 the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of—

CHAIRMAN

1. Hon'ble Mr. Justice T.P.S. Chawla

MEMBERS

2. Hon'ble Mr. Justice S.S. Chadha, Judge of the Delhi High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice S. Ranganathan, Judge of the Delhi High Court.

The term of this Advisory Board will be upto the 10th March, 1982 from from the date of this notification.

[F. No. 674/1/81-Cus. VIII]

N. I. RAMANATHAN, Under Secy.